दिनांक 28.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 47 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट का संज्ञान लेकर तत्काल पोस्ट अपलोड करने वाली छात्रा की जीवनरक्षा हेतु की गई काउंसलिंग

दिनांक 28–05–2025 को जनपद बुलंदशहर के थाना सलेमपुर क्षेत्र निवासी **लगभग 16 वर्षीय छात्रा द्वारा हाथ में गोलियों को दिखाकर उनको खाते हुए "गुड बाय" लिखकर इंस्टाग्राम पर आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट किया गया** । उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 28–05–2025 को समय 10:40 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री प्रशान्त कुमार द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया । मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल छात्रा की लोकेशन की जानकारी करके जनपद बुलंदशहर को अविलंब प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना सलेमपुर, के उ0नि0 मय महिला आरक्षी मात्र 12 मिनट के अन्तराल में छात्रा के घर पहुँच गए, जहां पर उनके द्वारा परिजनों के सहयोग से अविलम्ब छात्रा का घरेलु प्राथमिक उपचार कराया गया । छात्रा के कुछ स्वस्थ होने के उपरांत जानकारी करने पर छात्रा द्वारा बताया गया कि वह **11 वीं क्लास में पढ़ती है, लगभग डेढ़ साल से वह एक लड़के से प्रेम करती है और उससे शादी की भी बात चल रही थी, किन्तु प्रेमी से झगड़ा होने के कारण वह बहुत तनाव और गुस्से में थी और भावावेश में आकर उसके द्वारा नींद की गोलियों को काफी मात्रा में खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया था।** पुलिस द्वारा छात्रा की काउंसलिंग की गयी, जिस पर उसके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन

दिया गया। छात्रा के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया ।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। **दिनांक 01–01–2023 से 22–05–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 951 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है ।**

एसटीएफः जनपद थाणे, महाराष्ट्र के थाना मुम्ब्रा में धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांकः 27–05–2025 को एस0टीएफ0एफ0 उत्तर प्रदेश को जनपद थाणे, महाराष्ट्र के थााना मुम्ब्रा में पंजीकृत मु0अ0सं0 915/2025 धारा 316(2), 316(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(1), 3(5) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्तगण विजय कुमार, आषीष कुमार टण्डन उर्फ अमित कुमार, सलमान खान व राजन कुमार सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्तों का विवरणः–

1– विजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 छोटे लाल गुप्ता नि0 वजीरगंज रूदौली, जनपद अयोध्या,

2– आषीष कुमार टण्डन उर्फ अमित कुमार पुत्र कैलाष नाथ टण्डन नि0 शक्ति अपार्टमेन्ट रूम नं0 505, फेज–1, मल्हौर चिनहट, लखनऊ।

3– सलमान खान पुत्र अफजारूल रहमान खान नि0 मिझौड़ा, जनपद अम्बेडकरनगर हाल पता शक्ति अपार्टमेन्ट, मल्हौर चिनहट, लखनऊ।

4– राजन कुमार सिंह पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद सिंह नि0 फ्लैट नं0 902 ब्लाक–सी, ओमेगा ग्रीन पार्क, थाना सुषान्त गोल्फ सिटी, अयोध्या रोड, लखनऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 27–05–2025 समय 15.30 बजे, जी–6–76, थानाक्षेत्र सुषान्त गोल्फ सिटी, कमिष्नरेट लखनऊ व शक्ति अपार्टमेण्ट अषरफ विहार कालोनी, थाना चिनहट कमिष्नरेट लखनऊ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24–05–2025 को क्रिप्टोकरेंसी व शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेण्ट के नाम पर अधिक लाभ का प्रलोभन देकर लोगों से ठगी करने के सम्बन्ध में थाना मुम्ब्रा, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र में मु0अ0सं0–915/2025 धारा 316(2), 316(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(1), 3(5) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत हुआ। इस ठगी में संलिप्त अभियुक्तगण विजय कुमार, आषीष कुमार टण्डन उर्फ अमित कुमार, सलमान खान व राजन कुमार सिंह की गिरफ्तारी हेतु थाना मुम्ब्रा पुलिस द्वारा एस0टी0एफ0, उ0प्र0 से सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गयी, जिसके क्रम में पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रमेष कुमार शुक्ल, एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ की टीम में नियुक्त निरी0 श्री शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में मु0आ0 कवीन्द्र साहनी, मु0आ0 मुनेन्द्र सिंह, मु0आ0 यषवन्त सिंह, मु0आ0 वीर प्रताप, मु0आ0 अजीत सिंह व अयोध्या इकाई के उ0नि0 सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में मु0आ0, अन्जनी यादव, मु0आ0 रजनीष सिंह, मु0आ0 विमलेन्द्र मोहन मिश्रा, मु0आ0 कमाण्डो राजकुमार की गठित टीम द्वारा जनपद लखनऊ के अलग–अलग थानाक्षेत्रों में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 27–05–2025 को अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण में से एक अभियुक्त राजन कुमार सिंह जी–6–76 अंसल, थानाक्षेत्र सुषान्त गोल्फ सिटी, कमिष्नरेट लखनऊ मे मौजूद है। इसी प्रकार अयोध्या इकाई की टीम को सूचना प्राप्त हुयी की उपरोक्त अभियोग में वांछित अन्य तीन अभियुक्तगण विजय कुमार, आषीष कुमार टण्डन उर्फ अमित कुमार व सलमान खान शक्ति अपार्टमेण्ट अषरफ विहार कालोनी, थाना

चिनहट कमिश्नरेट लखनऊ में मौजूद है। यदि शीघ्रता की जाये तो पकडे जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास कर एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ व अयोध्या इकाई की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुम्ब्रा पुलिस को लेकर अलग–अलग गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर उपरोक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूंछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने बताया कि हम लोगों के द्वारा मुम्बई में टैलविन नाम की एक फर्जी शेयर ट्रेडिंग कम्पनी बनायी गयी थी। हम लोगों के द्वारा व कम्पनी के अन्य लोगों के द्वारा क्रिप्टोकरेंसी/शेयर में इन्वेस्टमेण्ट के नाम पर अधिक रिर्टन दिये जाने का लालच देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वेस्टमेण्ट करने हेतु बताया जाता था, जिसके सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा कई जगहों पर सेमिनार भी आयोजित किये जाते थे तथा यह बताया जाता था कि यदि आप के द्वारा अधिक समय के लिये इन्वेस्टमेण्ट किया जाता है तो आपको ज्यादा रिटर्न/बोनस मिलेगा। सेमिनार में आने वाले लोगों को यह भी बताया जाता था कि पूर्व में कई ग्राहको को कम्पनी द्वारा अच्छा रिटर्न दिया गया है। कम्पनी के लोगों के द्वारा बतायी गयी बातों में आकर कई लोगों के द्वारा कम्पनी में इन्वेस्टमेण्ट कर दिया गया। ग्राहकों से इन्वेस्टमेण्ट प्राप्त होने के उपरांत इन लोगों के द्वारा कम्पनी को बंद कर दिया गया तथा लोगों का पैसा लेकर फरार हो गये, जिसके सम्बन्ध में थाना मुम्ब्रा जनपद ठाणे, महाराष्ट्र पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें यह लोग भाग कर लखनऊ आ गये थे तथा लुक छिप कर रह रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों में से अभियुक्त राजन कुमार सिंह उपरोक्त को थाना सुषान्त गोल्फ सिटी, कमिष्नरेट लखनऊ पर दाखिल किया गया एवं अन्य अभियुक्त विजय कुमार, आषीष कुमार टण्डन उर्फ अमित कुमार, सलमान खान को थाना चिनहट, कमिष्नरेट लखनऊ पर दाखिल किया गया। थाना मुम्ब्रा पुलिस द्वारा अभियुक्तों का नियमानुसार ट्राजिस्ट रिमाण्ड प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सदर बाजार

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 28.05.2025 को थाना सदर बाजार व सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीओडी ग्राउण्ड के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त केशव उर्फ नहनू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो कमिश्नरेट आगरा से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ् तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर पर 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—केशव उर्फ नहनू निवासी शारदा बिहार फेस—03 दहतोर मोड़ बोदला थाना जगदीशपुरा, आगरा हालपता—अमरपुरा थाना जगदीशपुरा, आगरा।

बरामदगी

1—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–63

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 28.05.2025 को थाना सेक्टर–63 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–62 गोल चक्कर से पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रकाश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–63 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रकाश निवासी एल ब्लाक मंगोलपुरी थाना मंगोलपुरी नार्थ वेस्ट दिल्ली वर्तमान पता–एकता अपार्टमेंट मुण्डका थाना मुण्डका, दिल्ली।

जनपद सम्भल/थाना बहजोई

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये पीली धातु के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 28.05.2025 को थाना बहजोई व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ढकारी रोड को जाने वाले रास्ते से 02 अभियुक्तों 1–करन 2–गुरदीप उर्फ छिन्दर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये पीली धातु के आभूषण, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त करन थाना बहजोई पर पंजीकृत डकैती के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त करन के विरूद्ध जनपद बिजनौर, सम्भल, मेरठ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट

आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त गुरदीप उर्फ छिन्दर के विरूद्ध राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बहजोई पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—करन निवासी कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2—गुरदीप उर्फ छिन्दर निवासी नागल पिलखड़ी रिटावत थाना अकबरपुर जनपद अलवर, राजस्थान।

बरामदगी

1—लूटे गये पीली धातु के आभूषण।

2—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद शामली/थाना कोतवाली शामली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 28.05.2025 को थाना कोतवाली शामली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजमहल होटल के पास कैराना रोड पर पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त सलमान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी मोहल्ला आजाद चौक काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हरदोई/थाना कोतवाली शहर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 965.51 ग्राम सोने के आभूषण व सोने के टुकड़े**
- **चोरी के 36 लाख 62 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 28.05.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–बालकृष्ण 2–रवीन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 965.51 ग्राम सोने के आभूषण व सोने के टुकड़े, चोरी के 36 लाख 62 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बालकृष्ण निवासी सराय थोक पश्चिमी थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई।

2—रवीन्द्र कुमार निवासी भूसा मण्डी मुन्नेमिया चौराहा के पास थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई।

बरामदगी

1—चोरी के 965.51 ग्राम सोने के आभूषण व सोने के टुकड़े।

2—चोरी के 36 लाख 62 हजार रूपये नगद।

जनपद सहारनपुर/थाना नानौता

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27/28.05.2025 की रात्रि थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भारी नहर झाल के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त युनूस घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नानौता पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—युनूस निवासी मोहल्ला अफगानान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कौशाम्बी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 28.05.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आनन्द बिहार ठेके पास से 02 अभियुक्तों 1—अरमान 2—बिलाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 दो पहिया वाहन बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अरमान निवासी बंकर का साकार वाली गली सिकन्दराबाद थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर।

2—बिलाल निवासी चट्टू चौराहा सिकन्दराबाद थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—चोरी की 05 दो पहिया वाहन।

- **<u>जनपद एटा/थाना मिरहचि (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मिरहचि पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त योगेश कुमार को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना हरगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना हरगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त तौहीद को 20 वर्ष के कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना मोहाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना मोहाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त असगर अली उर्फ किनकिन उर्फ भिड़की उर्फ उसमान को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना सोनहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 31 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना सोनहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विक्रम को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 31 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 08–08 वर्ष के कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विक्रम 2–मनोज को 08–08 वर्ष के कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।